प्रेस नोट दिनाँक-23.09.2019

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को 30 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा केदा का पुरवा वहद ग्राम भौंरी से अभियुक्त (1) सत्यनारायण पुत्र शिवपाल (2) गोविन्द पुत्र चुनकाई निवासीगण भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 10-10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 117/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किय गया।

बरामदगीः-

20 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री शिवस्वरूप मिश्रा
3. मुख्य आरक्षी हफीज

(ii). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबये आलम तथा उनकी टीम द्वारा कुचारम पुलिया मोड़ वहद ग्राम कुचारम से अभियुक्त भोजराज पुत्र श्रीपाल निवासी रइयापुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री गजवये आलम थाना पहाड़ी
2. आरक्षी रामअजोर

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). श्री राजेश कुमार थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 50/18 धारा 498ए/304बी भादवि0 व ¾ द0प्रथा अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त गयाप्रसाद पुत्र सुखराम निवासी गोहाई का पुरवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). श्री राकेश कुमार सरोज प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 40/19 धारा 147/148/323/506 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त शिवजतन तिवारी पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद तिवारी निवासी सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 818/17 धारा 376 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त हेमराज पुत्र प्रभू रैदास निवासी मवई पहरा तथा (2) मु0अ0सं0 414/18 धारा 363/366/376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बल्लू पुत्र कोदू निवासी विनायकपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अ0सं0 114/12 धारा 138बी/135 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त जयनारायण सिंह पुत्र गुलजार सिंह निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।